

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

जारी

बनाम प्रभु

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 376/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|-------------|---|
| 19/07/24 | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री/ श्रीमती <u>जारी</u></p> <p>पति श्री <u>धनू शील</u></p> <p>निवासी- <u>सैमलिया</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सैमलिया (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>26, 27, 28, 29</u></p> <p>कुल कीता <u>04</u> कुल रकबा <u>2.0300</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सैमलिया (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>26, 27, 28, 29</u></p> <p>कुल कीता <u>04</u> रकबा <u>2.0300</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500=00</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार पान्च सौ</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(वीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> |